न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :

श्री अजय कुमार आर्य,
आर.ए.एस

निगरानी संख्या 38/2017

विकास अधिकारी, पंचायत समिति नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं।

—निगरानीकार—

बनाम

1. श्री नरोतम कालेर पुत्र श्री कमलसिंह कालेर जाति जाट निवासी चौराड़ी तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं।
2. ग्राम पंचायत ढिगाल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढिगाल पचांयत समिति नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.12.2009 सकल्पं संख्या 05 पट्टा द्वारा ग्राम पंचायत ढिगाल।

उपस्थितिः—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट..... निगरानीकार की ओर से।
2. श्री विजयपाल एडवोकेट..... गैर निगरानीकार की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 27.03.2026

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ढिगाल गैरनिगरानीकार संख्या 2 का आदेश विधि विरूद्ध, गलत व अनऔचित्य पूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत किगाल द्वारा जारी पट्टा दिनांक 21.12.2009 गैरनिगरानीकार नं. 1 को दियां गया है जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत को जोहड़ की भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। जोहड़ की भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिसका पट्टा जारी नही किया जा सकता है। उक्त कानूनी तथ्य पर गौर न कर पट्टा जारी करने में भूल कानूनी की है। गैर निगरानीकार नं. 2 ने उक्त पट्टा अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर जारी किया है ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही था। इसलिए भी उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार नं. 2 द्वारा गैर निगरानीकार नं. 1 को लाभ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

पहुंचाने की नियत से सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर पट्टा जारी किया है जबकि ग्राम पंचायत राज अधिनियम में पट्टा जारी करने के स्पष्ट नियम बने हुये है उक्त नियमों के तहत ही पट्टा जारी किया जा सकता है। लेकिन गैर निगरानीकार संख्या 2 ने नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी करने में भूल कानूनी की है। इसलिए भी उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने उक्त पट्टा पंचायत राज नियम 158 के तहत जारी किया है उक्त नियम में कमजोर वर्गो को भूमि आवंटन का प्रावधान है और वो भी पंचायत गांव आबादियों में 150 वर्गगज तक की भूमि जिनके पास स्वयं का गृहस्थल गृह नहीं है भूमिहीन है उनको देने का प्रावधान है जबकि पट्टाधारी गैरनिगरानीकार संख्या 1 जो दूसरी ग्राम पंचायत का है जिसको दिया गया है और वो

ा है जो विधि विरूद्ध है। उक्त तथाकथित गलत पट्टे की शिकायत होने पर इसकी जांच जांच कमेटी बनाकर करवाने पर जांच कमेटी द्वारा उक्त पट्टा विधि विरूद्ध पाया गया जिस पर श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी झुन्झुनू ने उक्त पट्टे की निगरानी प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिस पर निगरानीकार द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की जानी आवश्यक हुई। अतः निगरानीकार की ओर से निगरानी पेशकर निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ढिगाल गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 5 दिनांक 21.12.2009 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि गैर निगरानीकार के पक्ष में ग्राम पंचायत ढिगाल ने दिनाकं 21.12.2009 को पट्टा सनद जारी किया गया वो नियम विरूद्ध होने से काबिले निरस्त है। ग्राम पंचायत को राजकीय भूमि में पट्टा जारी करने के अधिकार कभी भी नहीं थे। निगरानी श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। निगरानी अन्दर मियाद पेश की जा रही है। इसलिये ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2009 के विरूद्ध यह निगरानी स्वीकार की जाकर सकल्पं संख्या 5 पट्टा दिनांक 21.12.2009 बहक नरोतम कालेर खारीज किया जाना न्यायोचित है।

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत ढिगाल तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की है। गैर निगरानीकार ने ग्राम पंचायत को 16060 रूपये जमा करवाये थे । पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को नियमानुसार नहीं बताया है। इस संबंध में रिकार्ड अदालत मातहत का अवलोकन किया, जिससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर विधिक प्रकिया के अनुसार पट्टा जारी किया नही गया है। जिसमें कई प्रकार की अनियमितता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि उपरोक्त द्वारा जोहड़ की भूमि पर पट्टा जारी किया तथा उपरोक्त निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक का जारी हो गया ब्लॉक विकास अधिकारी की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया हैं। अत पत्रावली पचांयतीराज अधिनियम 1994 के विरूध होने के कारण ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया जाता है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णया दिनांक 21.12.2009 सकल्पं संख्या 05 पट्टा द्वारा ग्राम पंचायत ढिगाल पट्टा द्वारा जारी पट्टा नरोतम कालेर पुत्र श्री कमलसिंह कालेर को खारिज किया जाता हैं। रिकॉर्ड ग्राम पंचायत ढिगाल को फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Scanned with CamScanner